

# कार्यालय जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पलामू।

(जिला पंचायत शाखा)

विज्ञापन

15वें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत अनुगान्य अनिवार्य गतिविधियों के संचालन के निमित्त पंचायतों में ग्रामीण निवासियों को सेवाएँ प्रदान करने के क्रम में पंचायतों में कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु जिला स्तरीय पैनल में चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निम्न सेवाओं हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र०	सेवा का नाम	पद की संख्या	आरक्षण वर्ग				
			ST	SC	BC-I	BC-II	UR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कनीय अभियंता	42	03	12	04	02	21
2	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	52	04	14	05	03	26

रोस्टर सोधन की प्रत्याशा में पदों की संख्या निर्धारित की गयी है। रोस्टर सोधन के पश्चात पदों की संख्या कोटिवार घट-बढ़ सकती है।

## 2. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :

- पैनल में चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे, जिसे जिले के वेबसाइट ([www.palamu.nic.in](http://www.palamu.nic.in)) से डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग-अलग शुल्क जमा करना होगा।
- आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा, जो जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पलामू के पदनाम से डालटनगंज (पलामू) में भुगतान होगा। आवेदक को अपना नाम एवं पूर्ण पता बैंक ड्राफ्ट के पीछे लिखना अनिवार्य होगा।

## शुल्क की विवरणी निम्नवत है :-

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियंता	500/- रुपये	सामान्य
		300/- रुपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला
2	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/- रुपये	सामान्य
		300/- रुपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला

- आवेदन पत्र ई-मेल ([dpropalamu2012@gmail.com](mailto:dpropalamu2012@gmail.com)) के माध्यम से भी समर्पित किया जा सकता है। परन्तु इसकी भी प्रति स्पीड/निबंधित डाक से मूल बैंक ड्राफ्ट के साथ कार्यालय जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पलामू नया समाहरणालय भवन ब्लॉक 'सी' ग्राउण्ड फ्लोर, मेदिनीनगर पलामू झारखण्ड पिन- 822101 में दिनांक 17.03.2021 से दिनांक 23.03.2021 को संध्या 05:00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी।

3. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 2249 दिनांक 03.04.2018/ ज्ञापांक 5776 दिनांक 10.10.2002 के आलोक में दिव्यांगजनों एवं महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय होगा।

4. सेवा अनुबंध हेतु पैनल में चयन हेतु योग्यता एवं अन्य शर्तों से संबंधित विवरणी जिले के वेबसाइट ([www.palamu.nic.in](http://www.palamu.nic.in)) पर देखा जा सकता है।

ज्ञापांक :- 178 / पं०, दिनांक :- 13/03/2021

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त विज्ञापन का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त सूचना को जिले के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

13/03/2021  
उपायुक्त, पलामू।



**झारखण्ड सरकार**  
**ग्रामीण विकास विभाग**  
**(पंचायत राज)**

**अधिसूचना**

अ0सू0सं0 :- 01 स्था (वि0) 110/2018 ..... 335 ..... / पं0 राँची, दिनांक :- 19.2.2021

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज) द्वारा 15वें वित्त आयोग मद की राशि त्रिस्तरीय पंचायतों को विमुक्त की जा रही है। 15वें वित्त आयोग द्वारा O&M एवं पूँजीगत व्यय के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। पंचायतें 15वें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग अनिवार्य गतिविधियों में पंचायतों में/ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रख-रखाव अनुबंध/सेवा अनुबंध कर सकती हैं। उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत स्तर पर 15वें वित्त आयोग मद से योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं इनसे संबंधित ऑनलाईन कार्यों के सम्पादन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के निमित्त ग्राम पंचायत सेवा अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित 02 (दो) तरह के कर्मियों की सेवा प्राप्त कर सकती है। सेवा अनुबंध के विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारा कर्मियों को भुगतान 15वें वित्त आयोग मद की अनाबद्ध अनुदान मद राशि से अनुमान्य होगा।

क्र0	सेवा क्षेत्र का नाम	संख्या	अधिकतम मासिक देय राशि
1	2	3	4
1	कनीय अभियंता के रूप में	526 (दो प्रति प्रखंड की दर से)	17000/-
2	लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में	869 (प्रत्येक पाँच पंचायत पर एक, जिलावार विवरणी संलग्न)	10000/-

ग्राम पंचायतों द्वारा सेवा अनुबंध हेतु कर्मियों के चयन हेतु जिला स्तर पर अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा जिसमें अंकित अभ्यर्थियों में से ग्राम पंचायत योग्य अभ्यर्थी के साथ सेवा अनुबंध कर सकेगी।

**2. कनीय अभियंता :**

**क- आरक्षण नीति :**

कनीय अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

**ख- शैक्षणिक योग्यता :**

(i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत होगा।

(ii) वांछनीय योग्यता : संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता।

**ग- उम्र सीमा :**

कनीय अभियंता के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जाएगी।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

कृ0पृ0उ0 ....

**घ- चयन की प्रक्रिया :**

I. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अनुशंसा की जाएगी। जिला स्तरीय चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. उपायुक्त  | - | अध्यक्ष |
| 2. उप विकास आयुक्त   | - | सदस्य   |
| 3. निदेशक, डी0आर0डी0ए0   | - | सदस्य   |
| 4. जिला पंचायत राज पदाधिकारी   | - | संयोजक  |
| 5. कार्यपालक अभियंता (विशेष प्रमंडल/पथ निर्माण)                            | - | सदस्य   |
| 6. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए नामित<br>(उपायुक्त द्वारा मनोनीत पदाधिकारी) | - | सदस्य   |

उपरोक्त सभी चयन समिति के स्थायी सदस्य होंगे।

II. चयन शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं विषय के ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा के अंको के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

**च- मेधा सूची तैयार करने की पद्धति :**

(a) सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होने की स्थिति में आरक्षणवार रिक्तियों की तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रारंभिक मेधा सूची कंडिका छ-1 में अंकित मापदण्ड के आधार पर अनिवार्य, वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी।

(b) उपरोक्त प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विषय (अभियंत्रण) ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

(c) अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

(d) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।

**छ- मूल्यांकन :**

I. अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा :-

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	विषय ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

II. विषय ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

कृ०पृ०उ० ....

IV. अनुभव का तात्पर्य है 14<sup>th</sup> FC में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

**3. लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर :**

**क- आरक्षण नीति :**

लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

**ख- शैक्षणिक योग्यता :**

(i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0कॉम/बी0एस0सी0 (गणित/सांख्यिकी)/बी0ए0 (गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत होगा।

(ii) वांछनीय योग्यता एवं अनुभव- संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

**ग- उम्र सीमा :**

लेखा-लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जाएगी।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

**घ- चयन की प्रक्रिया :**

I. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अनुशंसा की जाएगी। जिला स्तरीय चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- |   |         |
|---|---------|
| 1. उपायुक्त-  | अध्यक्ष |
| 2. उप विकास आयुक्त-   | सदस्य   |
| 3. जिला लेखा पदाधिकारी अथवा<br>जिला स्तरीय वाणिज्यकर सेवा के पदाधिकारी      | सदस्य   |
| 4. जिला पंचायत राज पदाधिकारी-   | संयोजक  |
| 5. जिला स्तरीय NIC के पदाधिकारी-  | सदस्य   |
| 6. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए नामित-<br>(उपायुक्त द्वारा मनोनीत पदाधिकारी) | सदस्य   |

उपरोक्त सभी चयन समिति के स्थायी सदस्य होंगे।

II. चयन शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं कंप्यूटर जाँच के अंको के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

**च- मेधा सूची तैयार करने की पद्धति :**

(a) सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होने की स्थिति में आरक्षणवार रिक्तियों की तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य, वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी।

(b) उपरोक्त प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को कंप्यूटर ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

(c) अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

(d) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।

**छ- मूल्यांकन :**

I. अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा :-

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	कम्प्यूटर ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

II. कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

IV. लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में चयन हेतु अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 25 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी।

V. अनुभव का तात्पर्य है 14<sup>th</sup> FC में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

**4. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :**

(a) पैनल में चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे जिसे वेबसाइट से डाऊनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट की सूचना विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी।

(b) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग-अलग शुल्क जमा करना होगा।

(c) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत होगा :-

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियंता	500/- रूपये	सामान्य
		300/- रूपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला
2	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/- रूपये	सामान्य
		300/- रूपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला

कृ०पृ०उ० ....

(d) राशि के भुगतान एवं माध्यम के संबंध में निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जाएगा एवं अग्रिम सूचना विज्ञापन के माध्यम से देनी होगी।

(e) आवेदन से प्राप्त राशि के उपयोग/व्यय के संबंध में विभाग स्तर से अलग से दिशा निदेश निर्गत किया जाएगा।

(f) आवेदन पत्र ई-मेल के माध्यम से भी समर्पित किया जा सकता है। परंतु इसकी भी प्रति स्पीड पोस्ट एवं निबंधित डाक से कार्यालय अवधि में भेजे जाने होंगे। इसके लिए ई-मेल की भी जानकारी विज्ञापन के माध्यम से देनी होगी।

(g) आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा।


(h) पैनल में चयन की प्रक्रिया पूरे राज्य में एक साथ प्रारंभ की जाएगी अर्थात् सभी जिलों में एक साथ चयन हेतु आवेदन पत्र मांगे जायेंगे एवं आवेदन पत्र संबंधित जिले में ही समर्पित किए जायेंगे।

#### 5. सेवा अनुबंध पर कार्य लेने हेतु शर्तें निम्नवत् होगी :-

- i. चयन समिति केवल पैनल में नाम हेतु अनुशंसा करेगी।
- ii. चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रखण्ड एवं पंचायत के चयन के संबंध में उपायुक्त के स्तर से निर्णय लिया जा सकेगा। उपायुक्त के स्तर से पंचायतों का कलस्टर तैयार किया जायेगा।
- iii. चयनित अभ्यर्थियों से प्रखण्ड एवं पंचायतों के कलस्टर हेतु विकल्प मांगा जाएगा। योग्यता सह विकल्प (Merit cum Choice) के आधार पर प्रखण्ड एवं पंचायत का कलस्टर अभ्यर्थी को कर्णांकित किया जाएगा।
- iv. कर्णांकित अभ्यर्थियों में से कनीय अभियंता का सेवा अनुबंध संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह- सचिव, पंचायत समिति करेंगे तथा लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर का अनुबंध संबंधित पंचायत कलस्टर के सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा।
- v. सेवा अनुबंध प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए किया जाएगा। एक वर्ष के पश्चात उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी जिसके आधार पर सेवा की आवश्यकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर एक-एक वर्ष के लिए सेवा अनुबंध का नवीकरण किया जा सकेगा किन्तु सेवा अनुबंध सिर्फ 15वें वित्त आयोग की अवधि तक के लिए ही अनुमान्य होगा एवं किसी भी परिस्थिति में इसे आयोग की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा।
- vi. सेवा अनुबंध का वार्षिक नवीकरण सेवा की आवश्यकता, कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी सेवा अनुबंध स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- vii. उपर्युक्त अवधि में सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मों को किसी अन्य स्थान/संस्थाओं इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही पंचायत द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में संवेदक अथवा किसी अन्य रूप में कार्य करने अथवा निविदा में भाग लेने की अनुमति संबंधित कर्मों अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों को नहीं होगी।

- viii. यदि कोई कार्यरत कर्मी सेवा अनुबंध से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो संबंधित पंचायतों को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
- ix. चयनित कर्मी का कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर संबंधित पंचायत सचिव एवं मुखिया संयुक्त रूप से उसे कार्यमुक्त करने की स्पष्ट कारणों के साथ अनुशांसा उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे जिसपर उपायुक्त को 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। किन्तु निर्णय के पूर्व संबंधित कर्मी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जाएगा।
- x. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत/परिवाद प्राप्त होने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर से आवश्यक जाँच परिवाद प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित उपायुक्त को प्रेषित किया जाएगा। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक पक्ष के अन्दर उपायुक्त निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे।
- xi. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को सेवा अनुबंध के विरुद्ध निर्धारित राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का मानदेय अथवा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- xii. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश सेवा अनुबंध कर्मियों को देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


  
(आदित्य रंजन)

निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 01 स्था (वि0) 110/2018 ..... 395 ..... /पं0, राँची, दिनांक :- 15.2.2021


प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रसारण हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशनोपरांत उक्त अंक की 500 प्रतियाँ अभिलेख हेतु विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

  
निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 01 स्था (वि0) 110/2018 ..... 395 ..... /पं0, राँची, दिनांक :- 15.2.2021


प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, पोस्ट- हिन्, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

कृ०पृ०उ० ....



ज्ञापांक :- 01 स्था (वि0) 110/2018 .....335...../पं0, राँची, दिनांक :- 19.2.2021  
प्रतिलिपि :- राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य  
सचिव/विकास आयुक्त/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/विभागीय मंत्री के आप्त  
सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य  
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय  
उप निदेशक, पंचायत राज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।